F.No.4-3/2010-Extension
Government of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of Agriculture & Cooperation

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 29th November, 2010.

VACANCY CIRCULAR

Subject:- Filling up of the post of Director (Extension) in the Directorate of Extension, Deptt. of Agriculture & Cooperation on deputation(ISTC).

One post of Director (Extension) in the pay band of Rs. 15,600-39,100+7600 (GP) of , General Central Service, Group 'A', Gazetted is proposed to be filled in the Directorate of Extension on deputation(ISTC) from amongst the officers under the Central Government /State Government/Public Undertaking/Semi Government Autonomous and State Organisation/Agricultural Universities/Recognised Research Institutions or Councils:-

(a)(i) holding analogous posts on regular basis or
(ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 10,000-15,200 (Pre-revised) or equivalent.
(b) possessing the educational qualifications and experience as under:-

Essential:-

(i) M.Sc in Agriculture or Agricultural Extension or any Branch on the Agricultural Sciences from a recognized University or equivalent or Master Degree in Rural Management or Master of Business Administration with B.Sc (Agriculture) from a recognised Institute or equivalent.
(ii) Ten years experience in supervisory cadre or equivalent in the field of Administration or Management of Agriculture or Extension Programme or Teaching experience at College or University level in Agriculture or Extension programme with special reference to training of Extension Personnel and Farmers.

Desirable:-

(i) Doctorate Degree in Agricultural Extension, Extension Education or advance training In Agricultural Extension from a recognised University or equivalent.
(ii) Familiarity with the formulation and conduct of Extension Management Programme.

2. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation(including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier. This is also subject to premature reversion on administrative grounds.The

maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

3. Officers selected will have the option to draw his grade pay plus deputation(duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the Department of Personnel and Trainings O.M. No.2/29/91-Estt.(Pay II) dated 5.1.1994.

4. Application (in triplicate) in the proforma indicated below, through proper channel along with the last five years' confidential reports i.e. from 2004-2005 to 2009-2010 of the eligible officers who could be spared in the event of their selection should reach the Under Secretary (Extension), Room N0. 25 - A, Ministry of Agriculture ,Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/Rojgar Samachar. While forwarding the applications the sponsoring organisations should verify and certify that the particulars furnished by the applicant are correct and that no vigilance case is either pending or contemplated against them and their integrity is certified. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. It may also be certified that no major/minor penalties have been imposed upon the officer during the last ten years.

5. Applications received after the last date or without the C.R.s, integrity, major/minor penalty statement and vigilance clearance or otherwise found incomplete will not be considered. Each page of the ACRs should be duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary.

(R.S.Verma)
Under Secretary (Extn.)

Copy forwarded to:

1. All Ministries/ Departments of the Central Government.
2. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
3. The Department of Personnel & Training (Office of the E.O.I), North Block, New Delhi.
4. All Officers in the Deptt. of Agriculture & Cooperation. Applications may please be sent through the concerned Establishment Sections.
5. All attached/subordinate office under the Deptt. of Agriculture & Cooperation.
6. The Chief Administrative Officer, Ministry of Defence (DH, PC), New Delhi.
7. Estt. I/II Sections.
8. Estt. III for notice board.
9. Director of Administration, Directorate of Extension, Pusa, New Delhi.
10. NIC (for uploading in the website of Department of Agriculture &Cooperation).
11. Guard File.

(R.S.Verma)
Under Secretary(Extn.)
Tel. 23387533

BIO-DATA PROFORMA

1. Name and Address in Block Letters:
   (with phone No.)

2. Date of Birth (in Christian era)

3. Date of retirement under Central/State Government Rules

4. Educational Qualifications:
   Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied
   (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same)

		Qualifications/ experience Required	Qualifications/ experience possessed by the Officer
Essential	(1)		
	(2)		
	(3)		
Desirable	(1)		
	(2)		
	(3)		

5. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.

6. Whether your candidature is for appointment on transfer on deputation including short-term contract or transfer basis.

7. Details of Employment in chronological order. Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Instt./Orgn.	Post held	From	To	Scale of pay And basic pay	Nature of duties

8. **Nature of present employment i.e Ad-hoc or temporary or quasi permanent or permanent.**

9. **In case the present employment is held on Deputation/contract basis please state-**
   a) **The date of initial appointment.**
   b) **Period of appointment on deputation/contract.**
   c) **Name of the parent office/organization to which you belong.**

10. **Additional details about present employment. Please state whether working under-**
   a) **Central Government**
   b) **State Government**
   c) **Autonomous Organisation**
   d) **Government Undertakings**
   e) **Universities**

11. **Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or in the feeder to the feeder grade.**

12. **Are you an revised scale of pay? If yes, give the Date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.**

13. **Total emoluments per month now drawn**

14. **Additional information, if any, which you would like to maintain in support of your suitability for the post. Enclose a separate Sheet if the space is insufficient.**

15. **Whether belongs to SC/ST**

16. **Remarks**

फा.सं0 4-3/2010-विस्तार

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक नवम्बर, 2010

रिक्ति परिपत्र

विषयः विस्तार निदेशालय कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर निदेशक (विस्तार) के पद को भरा जाना ।

विस्तार निदेशालय में सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित में 15,600-39,100/-+ 7600 रुपये (ग्रेड पे) के पे बैंड में निदेशक (विस्तार) का एक पद केन्द्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी स्वायत्तशासी एवं राज्य संगठनों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों के अधीन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाना प्रस्तावित है ।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) 10000-15200 रु.(पूर्व संशोधित) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो;

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हो:-

अनिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अथवा कृषि विस्तार/ कृषि विज्ञान की किसी अन्य शाखा में

परास्नातक डिग्री या समकक्ष अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रामीण प्रबन्धन में परास्नातक डिग्री

या स्नातक(कृषि) के साथ व्यापार प्रबन्धन में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष ।

(ii) पर्यवेक्षण काडर में दस वर्ष का अनुभव अथवा विस्तार कर्मियों और किसानों के प्रशिक्षण के विशेष संदर्भ में कृषि या विस्तार कार्यक्रम में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर

प्रशासन या कृषि अथवा कृषि प्रबंधन अथवा विस्तार कार्यक्रम अथवा अध्यापन अनुभव के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से कृषि विस्तार, विस्तार शिक्षण अथवा कृषि विस्तार में उन्नत प्रशिक्षण में डाक्टरेट डिग्री

(ii) विस्तार प्रबन्धन कार्यक्रम के गठन एवं आयोजन की जानकारी ।

2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)की अवधि साधारणतया चार वर्ष अथवा जब तक पद को नियमित आधार पर भरा नहीं जाता जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी । यह प्रशासनिक आधार पर समय पूर्व प्रत्यावर्तन के आधार पर भी है, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी

3. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 जनवरी 1994 के का0ज्ञा0सं0 2/29/91-(वेतन-II) के अनुसार इस पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने अथवा अपने पूर्व पद से संबंधित ग्रेड वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने का विकल्प होगा ।

4. अनुरोध है कि इस पद हेतु विचार किए जाने के पात्र अधिकारियों, जिन्हें उनका चयन होने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन(तीन प्रतियों में)नीचे दिए गए प्रोफार्मा में पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अर्थात 2004–05 से 2009–10 तक सहित उचित माध्यम से इस विज्ञापन के एम्प्लायमेन्ट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के अंदर अवर सचिव(विस्तार)क0स0 25–ए, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित किए जाएं । आवेदन अग्रेषित करते समय प्रायोजित संगठनों को यह सत्यापित तथा प्रमाणित करना चाहिए कि आवेदकों द्वारा प्रदत्त विवरण सही है और यह कि

उनके खिलाफ कोई सतर्कता का मामला लंबित अथवा अपेक्षित नहीं है तथा उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । यह भी प्रमाणित किया जाय कि अधिकारी पर गत दस वर्षो के दौरान कोई भी बड़ा या छोटा दण्ड नहीं लगाई गई।

5. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त अथवा अद्यतन गोपनीय रिपोर्टों अथवा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और सतर्कता निकासी के बिना प्राप्त आवेदनों अथवा अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रत्येक पृष्ठ अवर सचिव के स्तर के अधिकारी से कम ना हो, से सत्यापित होना चाहिए ।

(आर.एस.वर्मा)
अवर सचिव(विस्तार)

प्रति प्रेषितः

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (ई.ओ.आई.का कार्यालय), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. कृषि एवं सहकारिता विभाग के सभी अधिकारी आवेदन पत्र संबंधित स्थापना अनुभागों के माध्यम से भेजें।
5. कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय(डीएच,पीसी), नई दिल्ली।
7. स्थापना I/II अनुभाग।
8. स्थापना III नोटिस बोर्ड के लिए।
9. प्रशासन निदेशक, विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली।
10. एनआईसी(कृषि एवं सहकारिता विभाग की वेबसाईट पर लोड करने के लिए)
11. गार्ड फाईल।

(आर.एस.वर्मा)
अवर सचिव(विस्तार)
फोन नं0 -23387533

<u>जीवन वृत प्रपत्र</u>

1. नाम व पता(बड़े अक्षरों में):

2. जन्म तिथिः

3. केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों
के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीखः

4. शैक्षणिक अर्हताएं

क्या उक्त पद के लिए अपेक्षित व अन्य अर्हताएं रखते हैं(यदि किसी अर्हता को योग्यता के नियमों में निर्धारित
किसी योग्यता के समान माना गया है तो इसके लिए प्राधिकारी को विवरण दें)

अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी की अर्हता/अनुभव

अनिवार्यः

(1)
(2)
(3)

वांछनीय:

(1)
(2)
(3)

5. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आपके द्वारा दी गई उक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में क्या आप पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं।

6. क्या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांनतरण करके अल्पावधिक करार सहित/ या स्थानांतरण के आधार पर नियुक्त के लिए आवेदन कर रहे हैं।

7. काल क्रमानुसार रोजगार का विवरणः-
यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत एक शीट संलग्न करें

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान और किए गए कार्य का

मूलवेतन स्वरुप

- -

8. वर्तमान रोजगार का स्वरुप अर्थात तदर्थ या अस्थाई या स्थाईवत या स्थायी:

9. यदि मौजूदा रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर धारित हो तो उल्लेख कीजिए:

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि:

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि:

(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं :

10. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण:- कृपया उल्लेख करें कि क्या

(क) केन्द्रीय सरकार (ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम

(ड.) विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं ।

11. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और सम्पोषक श्रेणी में हैं या सम्पोषक श्रेणी के सम्पोषक में हैं ।

12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां तो वह तारीख जबसे संशोधन हुआ और संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें ।

13. इस समय आहरित की जा रही प्रतिमास कुल परिलब्धियां:

14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहेंगे ।

यदि स्थान कम है तो अलग से कागज संलग्न करें ।

15. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं :

16. अभ्युक्तियां :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पता----------

तारीख:

प्रति हस्ताक्षर:

(नियोक्ता)

यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है और पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ा या छोटा दंड नहीं दिया गया है तथा उसकी निष्ठा संदेह से परे है

विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(मोहर सहित)